

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ ।

--:: आदेश ::--

संशोधित वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131 'घ' में निहित प्रावधानों के तहत प्रत्येक अवसर पर रू0 50,000/- (पचास हजार) रुपये से रू0 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक की खरीदारी हेतु विभागीय क्रय समिति निदेशानुसार निम्नवत गठित की जाती है :-

1. आयुक्त के सचिव, - अध्यक्ष
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ ।
2. जिला लेखा पदाधिकारी, - सदस्य
पूर्णिया ।
3. महाप्रबंधक, - सदस्य
जिला उद्योग केंद्र, पूर्णियाँ ।
4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर से संबंधित सामग्रियों के क्रय के समय समिति के सहयोग हेतु तकनीकी सलाहकार के रूप में श्री श्याम मोहन दूबे, आई0टी0 प्रबंधक, आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ को नामित किया जाता है ।

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ ।

ज्ञापांक- 3734 दिनांक 06/10/22
प्रतिलिपि :- जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियाँ / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पूर्णियाँ / श्री श्याम मोहन दूबे, आई0टी0 प्रबंधक, आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ ।